पास जब्तशुदा हथियार सीमित मात्रा में उपलब्ध होने और विभागीय उपयोग के लिए उनकी आवश्यकता होने के कारण सामान्यतया प्रत्येक आबटती को केवल एक हथियार ही बेचा जाता है ।

सीमा शुल्क विभाग की दुकान (कस्टम शाप) के अधिकारियों द्वारा खरीद के लिए बहुत कम सामान दिखाया जाना

967. डा. अबरार अहमद : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सच है कि जब कोई ससद सदस्य सीमा शुल्क विभाग की दुकान पर सामान खरीदने के लिये जाता है तो वहा के अधिकारी और कर्मचारी उन्हे बहुत ही कम सामान दिखाते है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) उत्तर "ना" मे हो तो क्या इस मामले की कोई जाच किये जाने का प्रस्ताव है ,

(ग) क्या उन्हे इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली स्थित सीमा शुल्क विभाग की दुकान के अधिकारी और कर्मचारी अपने चहेते लोगो को बहुत ही कम मूल्य पर बहुत सी अच्छी—अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराते है , और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली स्थित सीमा शुल्क विभाग की दुकान की कुल बिक्री कितनी रही है और बेची गई वस्तुओ का ब्यौरा क्या है तथा उनके मूल्य क्या है और उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिन्होने इन वस्तुओ को खरीदा है तथा सामान का मूल्याकन करने वाले प्रधिकारी का नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) अभिगृहीत/जब्तशुदा वस्तुओ की थोक बिक्री अनुमोदित सहकारी सोसायटियो और राज्य सिविल आपूर्ति निगमों/राज्य सहकारी सघो को की जाती है जो उसे आगे सहकारी सोसायटियो, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारो, आदि के माध्यम से उपभोक्ताओ को बेचने के लिए सप्लाई करते है । इस प्रकार की वस्तुओ को सेना/पुलिस/पैरा मिलिटरी कैन्टीनो को बेचने के लिए भी भेजा जाता है । इस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओ की अल्प मात्रा मे वास्तविक उपभोक्ताओ को सीमाशुल्क की खुदरा दुकानो के माध्यम से "जो पहले आवे सो पहले पावे" सिद्धान्त के आधार पर भी बेचा जाता है । खुदरा दुकान पर जो कुछ वस्तुए उपलब्ध होती है उन्हे प्रदर्शित कर दिया जाता है और महत्वपूर्ण मदो का उल्लेख नोटिस बोर्ड पर कर दिया जाता है और आम जनता तथा ससद सदस्य, इसे खरीद सकते है ।

(ग) जब्तशुदा उपभोक्ता वस्तुओं को खुदरा दुकानो के जरिए बम्बई कस्टम हाउस की सयुक्त मल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यो पर बेचा जाता है और जहा इस प्रकार के निर्धारित मूल्य नही होते हैं, वहा माल को किसी ऐसी स्थानीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा तय किए गए मूल्यो पर बेचा जाता है जिसमे सदस्य के रूप मे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते है । खुदरा काउटरो पर बिक्री करने वाले अधिकारी वस्तुओ का मूल्य निर्धारित नही करते है ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Seizure of Narcotics and Other Goods

968. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of narcotic drugs and other goods seized by the customs authorities during 1989 and 1990 so far indicating the quantity and estimated value thereof particularly in Rajasthan sector on Indo-Pak border;

(b) what checks Government are exercising to see that drugs like heroin etc are completely destroyed by customs or concerned authorities; and

(c) what steps Government have taken so far to tighten antinarcotic—laws and for improving their enforcement including liaison with other international agencies in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) The details of narcotic drugs seized by Customs authorities during 1989 and 1990 are given in the statement annexed. No precise valuation of probibited drugs which are often of indeterminate chemical strength and composition, and which are liable for destruction, is feasible.

The value and quantity of other goods seized by Customs authorities during 1989 and 1990 in the Country is also given in the statement. (See below).

The information on other goods seized in Rajasthan Sector on Indo-Pak border is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) A three member Committee on disposal of drugs have been constituted in the Headquarters of the respective Heads of Department, who are to order and supervise the destruction. Detailed procedure to be followed in this behalf have been framed by Government.

(c) The Government have taken various steps such as improving enforcement, strengthening of NCB, improving liaison with national and international agencies such as INTERPOL, international Narcotics Control Board, Customs Cooperation Council, Drug Enforcement Administration of USA etc, and the law was improved by amendment in 1989.

Statement

Statement on narcotic drugs seized by Customs Authorities during the years **1989** *and* **1990**.

ALL INDIA SEIZURES

Drug seized	1989 Qty (in Kg.)	1990 (upto Nov.) (Provisional) Qty (in Kg.)
Opium	231	19
Heroin	515	350
Ganja	20439	5021
Hashish	2553	1031
Methaqualone	158	486

Seizures of Narcotic drugs in Rajasthan Sector by the Customs Authorities

1	1989 (qty. in Kg) 2	1990 3
Heroin	74 860 (out of this 15 9 is seized jointly by Cus & NCB)	105 0 71 (out of this 88 38a seized/jointly by Cus. & NCB)

	2	3
Hashish	77 712	293 475 (out of this 15 was Seized jointly by Cus & NCB)
Opium	122 023	

Other Goods Seized by the Customs authorities

Value and quantity (wherever available) of major items.

Items	1989 (in lakhs)	1990 (Provisional) (In lakhs)
Gold	25960 (8215 kg)	18677 (5499 Kg)
Watches	263	244
Syn. Fabrics	545	935
Electronic goods	2792	2600
Silver	6757 (99322 Kg.)	14727 (213940 Kg)
Total value of other goods (Which includes value of the above items) . .	554,59	707,28

Evasion of Excise Duty

969 SHRI CHIMANBHAI MEHTA. Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the estimated evasion of excise duty in quantum and percentage during last three years;

(b) whether it is a fact that Government are getting much less revenue because of spread of excise points at yarn and finished stages of artificial fabrics; and

(c) what are the measures suggested to counter this?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) Evasion of excise duty being a clandestine activity, no reliable indicators are available to estimate the quantum and